न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौंकरिया, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 30 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 18.06.2024

1. पारस जैन पुत्र प्रेमचन्द चन्द जैन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज०)
2. मधु जैन पुत्री प्रेमचन्द चन्द जैन निवासी नासिदा तहसील देवली जिला टोंक (राज०)
3. ममता पुत्री प्रेमचन्द चन्द जैन निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज०)
4. समता पुत्री प्रेमचन्द चन्द नासिरदा तहसील देवली जैन निवासी जिला टोंक (राज०)

– अपीलांटस

बनाम

1. सीताराम पुत्र भूरादास जाति वैष्णव निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)
2. मनमोहन पुत्र प्रहलाद जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)
3. सुनील पुत्र प्रहलाद जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)
4. चन्द्रशेखर पुत्र भगवान जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)
5. मिथलेश पत्नि भगवान भगवान जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
6. देवीलाल पुत्र भूरादास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)
7. नन्दू पुत्री भूरादास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)
8. मधु पुत्री भूरादास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)
9. धर्मपाल पुत्र राधेश्याम वैष्णव जाति स्वामी निवासी आदर्श नगर वार्ड नं. 19 मालपुरा जिला टोंक राज०
10. हनुमान दास पुत्र गोविन्ददास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
11. मूलदास पुत्र गोविन्ददास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
12. बद्रीदास पुत्र गोविन्ददास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
13. नोरतदास पुत्र गोविन्ददास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक
14. रामकन्या पुत्री गोविन्ददास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज) (मृतका)

14/1 सोहन वैष्णव पुत्र गुलाब दास (माता रामकन्या) जाति स्वामी निवासी बडा नयागांव पोस्ट बडा नयागांव तहसील व जिला बून्दी

15. मदनी बेवा गोविन्ददास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज) (मृतका)
16. मोहनलाल पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक (राज)
17. मथुरालाल पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक (रजि)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

18. जगदीशलाल पुत्र बिरधा जाति धाकड निवासी गोपालपुरा तहसील देवली जिला टोंक

19. मीरा देवी पत्नि नाथूलाल वैष्णव जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)

20 सावत्री देवी पत्नि पप्पू वैष्णव जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टॉक

21 पप्पू उर्फ धनराज पुत्र हनुमानदास जाति स्वामी निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक (राज)

22. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक (राज)

.......रेस्पोडेण्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2101 दिनांक 10.04.2012 ग्राम नासिरदा तहसील देवली

उपस्थिति : (1) श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री सांवतराम मीना, राजकीय पेरोकार

निर्णय दिनांक: 28/2/25

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि साबिका आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 1.8600 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.2000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 127 रकबा 2.1500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 127/4940 रकबा 0.9000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 1.8800 हेक्टेयर, खसरानम्बर 129 रकबा 1.5700 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 8.5600 हेक्टेयर वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त आराजीयात का तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2101 भरकर दिंनाक 10.04.2012 को तस्दीक कर दिया। उक्त नामान्तरकरण को विधि–विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल बताते हुए नामान्तरकरण को निरस्त करार दिये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्टस जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की नामान्तरकरण की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेण्टस बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें अतः रेस्पोडेण्टस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अभिभाषक अपीलान्टस एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 2101 दिंनाक 10.04.2012 विधि विधि विधान तथा वास्तवकि तथ्यों के विपरीत होने से चलने योग्य नहीं है और निरस्त करने योग्य है।

तहसीलदार देवली द्वारा अपीलांटस के नाम केवल मात्र खसरा नम्बर 137 रकबा 1.57 हेक्टेयर भूमि अंकित कर दी गई है जबकि अपीलांटस के पिता का उक्त वर्णित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

आराज़ीयात खाता नम्बर 1209 जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 में वर्णित आराजीयात 8.5600 हेक्टेयर में 1/4 हिस्सा भूमि अर्थात 2.14 हेक्टेयर भूमि अंकित थी। जिसके स्थान पर उक्त नामान्तरकरण के जरिये 1.57 हेक्टेयर भूमि ही अंकित की गई और मनमाने रूप से 0.57 हेक्टेयर भूमि अपीलांट के पिता के नाम कम कर दी गई। जबकि मोके पर अपीलांटस के पिता प्रेमचन्द 2.14 हेक्टेयर भूमि पर काबिज रहे है और उनकी मृत्यु पश्चात अपीलांटस अपने पिता द्वारा छोडी गई उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण के लिए जो आदेश क्रमांक 2018 दिनाक 02.04.2012 को दिया गया उसमें स्पष्ट रूप से अपीलांटस के पिता प्रेमचन्द पि.मु. मोहनलाल का हिस्सा 1/4 अंकित किया गया है उसके बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तरकरण के द्वारा अपीलांटस के पिता के हिस्से में आयी भूमि में 0.5700 हेक्टेयर भूमि कम करते हुए 1.5700 हेक्टेयर भूमि हिस्से में बताते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया, इस प्रकार स्वंय के आदेश में प्रेमचन्द जैन का 1/4 हिस्सा अंकित करने के बावजूद भी रेस्पोडेण्टस से मिलीभगत करके भूमि को मनमाने रूप से कम कर दिया, जिससे उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व प्रेम पुत्री भूरादास वैष्णव का देहान्त दिनांक 03.12.2001 को ही हो गया था उसके बावजूद भी तहसीलदार देवली द्वारा न तो मृतका के वारिसान को पक्षकार बनाया और न ही वारिसान की कोई सहमति ली गई।

तहसीलदार देवली द्वारा उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश परित करते समय अपीलांटस के पिता का उक्त आराजीयात में 1/4 हिस्से का बंटवारा नही करके केवल मात्र अपीलांट के पिता को खसरा नम्बर 129 रकबा 1.57 हेक्टेयर भूमि ही दी गई और मनमाने रूप से 0.57 हेक्टेयर भूमि कम कर दी गई, जबकि उक्त सम्पूर्ण आराजीयात 8.56 हेक्टेयर भूमि में अपीलांटस के पिता प्रेमचन्द का 1/4 हिस्सा है जिस पर वे अपने जीवन काल तक काबिज रहे है और वर्तमान में अपीलांटस काबिज चले आ रहे है। राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उक्त भूमि का बटवारा मोके पर आकर नहीं किया गया और रेस्पोडेण्टस से आपस में साज करके कार्यालय में बैठकर ही नक्शा शीट में अलग अलग खेतों का बटवारा कर दिया गया। अपीलांटस को पूर्व में अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2101 की जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेण्ट अभी दिंनाक 28.5.2024 को मोके पर आये और अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते हुए कहने लगे कि यह भूमि तो हमारे खातेदारी की है जिस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय में जाकर सारी जानकारी के उपरान्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रति लेने दिनाक 29.5.2024 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनाक 31.05.2024 को सांयकाल प्राप्त होने पर अपील के खर्चे का इन्तजाम करके यह अपील बिना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। अपील पेश करने में फिर भी कोई देरी मानी जाये तो उसके कन्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2101 दिनाक 10.04.2012 को निरस्त किया जावे तथा उक्त विवादित साबिका भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 1. 8600 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 0.2000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.2000 हैक्टैयर, ख.न.127 रकबा 2.1500 हेक्टेयर, खसरा नं0 127/4940 रकबा 0.9000 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 128 रकबा 18800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 129 रकबा 1.5700 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 8.5600 हेक्टेयर वाके गाम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक में अपीलांटस के पिता प्रेमचन्द जी का जो 1/4 हिस्सा था उसी अनुसार अपीलांट के नाम 1/4 हिस्से की भूमियों का नामान्तरकरण भरने हेतु पत्रावली को तहसीलदार देवली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) करने का आदेश प्रदान किया जाये।

राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि तहसीलदार देवली द्वारा नामान्तरकरण हेतु जो आदेश क्रमांक 2018 दिनांक 02.04.2012 जारी किया गया है। उस आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक नहीं किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) देवली द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2018 दिनांक 02.04.2012 द्वारा सम्वत् 2065-68 खाता संख्या 1235 किता 6 रकबा 8.56 के बंटवारा का जो आदेश दिया गया है, उसमें क्रम सं. 3 पर अंकित खातेदार नोरत दास पि. गोविन्ददास कौम स्वामी देह खातेदार को खसरा नं 5448/125 रकबा 0.93 भूमि के अमल दरामद की स्वीकृति दी गयी थी परन्तु इस आदेश के आधार पर तस्दीक किए गए नामान्तकरण में खातेदार नोरत दास पि.मु. गोविन्ददास कौम स्वामी देह खातेदार को 5448/125 के स्थान पर खसरा नं. 5428/125 रकबा 0.93 का अंकन किया गया है। इस प्रकार नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण तस्दीक किया गया है। अतः नामान्तकरण संख्या 2101 दिंनाक 10.04.2012को निरस्त कर पुनः नामान्तरकरण आदेश के आधार पर नामान्तरकरण भरने हेतु पत्रावली तहसीलदार देवली को प्रतिपेषित (रिमाण्ड) किया जाना न्यायोचित है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त नामान्तरकरण की मूल पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। नामान्तरकरण की मूल पत्रावली के अध्ययन करने से विदित होता है कि तहसीलदार (भू.अ.) देवली द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2018 दिनांक 02.04.2012 द्वारा सम्वत् 2065-68 खाता संख्या 1235 किता 6 रकबा 8.56 है0 के बंटवारे का जो आदेश दिया गया है, उसमें क्रम सं. 3 पर अंकित खातेदार नोरत दास पि. गोविन्ददास कौम स्वामी. देह खातेदार को खसरा नं 5448/125 रकबा 0.93 भूमि के अमल दरामद की स्वीकृति दी गयी थी परन्तु इस आदेश के आधार पर तस्दीक किए गए नामान्तरकरण में खातेदार नोरत दास पि. गोविन्ददास कौम स्वमी. देह खातेदार को 5448/125 के स्थान पर खसरा नं. 5428/125 रकबा 0.93 का अंकन किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2018 दिनांक 02.04.2012 के अनुसार तस्दीक नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम नामान्तरकरण संख्या 2101 दिनांक 10.04.2012 को निरस्त कर पुनः नामान्तरकरण आदेश के आधार पर नामान्तरकरण भरने हेतु पत्रावली तहसीलदार देवली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाना उचित समझते है। राजकीय पेरोकार ने भी इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 2101 दिंनाक 10.04.2012 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली को निरस्त कर पुनः नामान्तरकरण आदेश के आधार पर समस्त तथ्यों/दस्तावेजात की जांच कर तथा पक्षकारान की सुनवाई कर विधिसम्मत नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु पत्रावली तहसीलदार देवली को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) की जाती है। प्रार्थना–पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक